पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस विज्ञप्ति

विभिन्न थाना क्षेत्रों से वांछित में कुल 08 अभियुक्त एवं एनबीडब्लू में कुल 03 अभियुक्त गिरफ्तार।

दिनांक-03.09.2024

दिनांक 02/03.09.2024 को थाना गाजीपुर 03, महानगर 02, चिनहट 01, हजरतगंज 01,मलिहाबाद 01 अभियुक्त एवं एनबीडब्लू में थाना सआदतगंज 02,गोमतीनगर 01 अभियुक्त गिरफ्तार। इस प्रकार वांछित में कुल 08 अभियुक्त एवं एनबीडब्लू में कुल 03 अभियुक्त गिरफ्तार।

भा0द0वि0/बी0एन0एस0

थाना सुशान्त गोल्फ सिटी-दिनांक 03.09.2024 थाना सुशान्त गोल्फ सिटी द्वारा बताया गया कि वादिनी श्रीमती शुभा राय पत्नी नदीम अहमद निवासी डी1-410 गोमती एन्कलेव अवध विहार योजना थाना सुशान्त गोल्फ सिटी लखनऊ ने थाना सुशान्त गोल्फ सिटी पर सूचना दी कि दिनांक 28.08.2024 को वादिनी के फोन पर मोबाइल नम्बर 9007881467 से कॉल आया कि आपके नाम से दिनांक 13.05.2024 को एयरटेल नम्बर 916375773665 की सिम निकाली गयी है। आप इसको बंद कराना चाहती है तो मुम्बई पुलिस से सम्पर्क करे और कॉल मुम्बई पुलिस में ट्रांसफर कर दिया गया और वॉकी टॉकी की आवाज पर वादिनी को सुनाया गया कि शुभा राय ,संजय सिंह केस में सस्पेक्ट हूँ जो कि मनी लॉन्ड्रिंग और ह्यूमन ट्रैफिकिंग का बताया गया फिर वादिनी को मोबाइल नम्बर 8018565919 से वीडियो कॉल आयी और वादिनी के व्हाट्सएप्प पर अमनीत कॉन्डल की आईडी भेजी गयी। वादिनी से वादिनी की सम्पत्ति का फोटो मांगा गया जिसमें 6,000/-रुपये नगद के सोने की चेन और आधार कार्ड,एटीएम कार्ड माँगा गया। वीडियो कॉल पर नगदी की फोटो,और गिरफ्तारी वारण्ट, एक एचडीएफसी बैंक की पास बुक की फोटो भेजी गयी। वादिनी से वादिनी के पैसो की जाँच के नाम पर दिनांक 28.08.2024 को समय करीब 02.16 बजे दोपहर को 50,000/-रुपये पे0टी0एम0 के माध्यम से ट्रांसफर कराये गये। जिसके बाद दिनांक 28.08.2024 को समय करीब 04.02 बजे शाम को 49,000/-रुपये ट्रांसफर करा लिये गये। अगले दिन दिनांक 29.08.2024 को समय करीब 01.22 बजे दोपहर आईएमपीएस के माध्यम से 50,000/-रुपये ट्रांसफर करा लिये गये। जिसके बाद पुनः दिनांक 29.08.2024 को समय करीब 02.29 बजे दोपहर खाता संख्या 1272102100000446 में 50,000/-रुपये ट्रांसफर करा लिये गये। समस्त ट्रांजेक्शन वादिनी के एचडीएफसी एकाउण्ट से हुआ है। वादिनी के साथ अज्ञात व्यक्तियों द्वारा धोखाधड़ी करते हुये वादिनी से पैसे ट्रांसफर करा लिये गये तथा वादिनी व वादिनी के पति के सभी कागजात (आधार कार्ड,जॉब कार्ड,व अन्य) भी ले लिये गये। जब वादिनी को शक हुआ कि वादिनी साइबर अपराध का शिकार हो गयी है तो वादिनी द्वारा ऑनलाइन साइबर अपराध सेल में शिकायत दर्ज करायी गयी। **इस सूचना पर थाना सुशान्त गोल्फ सिटी पर मु0अ0सं0 454/2024 धारा 318(4)/318(2) बीएनएस का अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।**

थाना आशियाना-दिनांक 03.09.2024 थाना आशियाना द्वारा बताया गया कि वादी श्री गोलू पुत्र कन्हई लाल निवासी किला मोहम्मदी नगर थाना आशियाना लखनऊ ने थाना आशियाना पर सूचना दिया कि वादी के बड़े भाई तेजबहादुर रात्रि 10.50 बजे मार्केट से घर जाते समय पावर हाउस की तरफ से आ रही तेज रफ्तार कार यू0पी0 32 एमवाई 2519 ने टक्कर मार कर फरार हो गयी वहाँ पर उपस्थित लोगो द्वारा गाड़ी की फोटो खींच कर घायल को अस्पताल ले जाया गया। डाक्टरो द्वारा घायल को ट्रामा रेफर कर दिया गया जहाँ घायल तेजबहादुर की मौके पर ही मृत्यु हो गयी। **इस सूचना पर थाना आशियाना पर मु0अ0सं0 322/2024 धारा 281/106 बीएनएस का अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।**

<u>थाना अलीगंज</u>-दिनांक 03.09.2024 थाना अलीगंज द्वारा बताया गया कि वादी श्री अनूप यादव पुत्र जहार सिंह यादव निवासी रुकमणी अपार्टमेन्ट 306 चन्द्रलोक कॉलोनी थाना अलीगंज लखनऊ ने थाना अलीगंज पर सूचना दिया कि वादी लखनऊ से समीक्षा अधिकारी की तैयारी कर रहा है। वादी का मित्र जिसका नाम राम लखन मीणा पुत्र बाबूलाल मीणा निवासी बी-303 यूनिक टॉवर सेक्टर-26 प्रताप नगर नियर जयपुर चौपाटी जयपुर राजस्थान मूल पता ग्राम करोरी,तहसील तोड़ाभीम गंगापुर जयपुर है। जिसके मोबाइल नम्बर 9461115757, 9667135757 है। जो अपने आप को डॉक्टर बताता है। एक बार वादी ने रामलखन मीणा से नौकरी न मिल पाने के सम्बन्ध में चर्चा की तो रामलखन मीणा ने बताया कि मैं तुमको दिल्ली के वी0एम0एम0सी0 सफरदरगंज हॉस्पिटल में नौकरी दिलवा दूँगा। मेरी जान पहचान अच्छी है लेकिन इसके लिये रुपये लगेंगे। रामलखन मीणा द्वारा बताया गया कि इसके लिये 15,00,000/-रुपये लगेंगे। तो वादी द्वारा दिनांक 19.08.2023 को वादी ने अपने बैंक खाते, फोन पे व एन0ई0एफ0टी0 के माध्यम से कुल 4,40,000/-रुपये दिये गये। वादी को 09 माह बीत जाने के बाद भी नौकरी नहीं मिली। वादी ने अपने रुपये वापस मांगे तो पहले तो रामलखन मीणा द्वारा कहा गया कि मैं आपको रुपये लौटा दूँगा। लेकिन फिर बाद में रामलखन मीणा द्वारा फोन उठाना बन्द कर दिया गया। वादी ने किसी तरह रामलखन मीणा की पत्नी का मोबाइल नम्बर 9079776944 प्राप्त किया। वादी ने रामलखन मीणा की पत्नी को सारी जानकारी दी तो दोनो पति पत्नी ने वादी को फोन पर गाली गलौज करते हुये जान से मारने की धमकी दी गयी। और कहा कि यहाँ आये तो जान से मरवा दूँगा। वादी एक दिन रामलखन मीणा के निवास पर अपने पैसे मांगने गया तो रामलखन मीणा व उसके कुछ साथियों ने वादी पर हमला कर दिया और मोहल्ले से भगा दिया। **इस सूचना पर थाना अलीगंज पर मु0अ0सं0 221/2024 धारा 406/420/352/504/506 भादवि का अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।**

<u>थाना सआदतगंज</u>-दिनांक 03.09.2024 थाना सआदतगंज द्वारा बताया गया कि वादी श्री नौशाद मोहम्मद अन्सारी पुत्र स्व0 नूर मोहम्मद निवासी 370/351 हातानूर बेग झड़ियन तालाब तिराहा थाना सआदतगंज लखनऊ ने थाना सआदतगंज पर सूचना दिया कि वादी के मकान में ही सामने वादी की दुकान है जिसमें वादी सोने चाँदी की मरम्मत का काम करता है। वादी की पत्नी कैसर जहाँ बीमार रहती है। दिनांक 30.05.2024 को एक आदमी आया जिसने अपना नाम शादाब उर्फ शानू बताया और बताया कि मैं झाड़ फूक का काम करता हूँ। तब वादी की पत्नी ने शादाब उर्फ शानू से कहा कि मैं बहुत बीमार रहती हूँ तब शादाब उर्फ शानू ने कहा कि घर पर शैतान का साया है इसी कारण तुम बीमार रहती हो और इसी कारण तुम्हारे घर मे सभी लोग बीमार रहते है। इसके लिये तुम्हे झाड़ फूक उतारा कराकर काट करना पड़ेगा। जिसमें झाड़ फूक के दौरान घर के समस्त जेवरात व 2000/-रुपये नगद रखकर उतारा करवाना पडेगा। उसके झांसे में आकर वादी की पत्नी कैसर जहाँ ने समस्त जेवरात व 2000/- रुपये घर के अन्दर बरामदे में रखवा कर झाड़ फूक करने लगा। झाड़ फूक के दौरान समस्त जेवरात एक मिट्टी के बर्तन(हांडी) में रख कर काले कपड़े से हांडी का मुँह बाँध दिया और दूसरे हांडी में रुपये रखकर हांडी का मुँह बाँध कर तथा तीसरी हांडी में पानी रखकर झाड़ फूक करने लगा। मौके पर वादी व वादी की पत्नी व वादी का पुत्र महताब आलम मौजूद थे। झाड़ फूक के दौरान कुछ देर बाद शादाब उर्फ शानू ने बताया कि पानी वाले हांडी को पलटकर रख आईये। वादी ,वादी की पत्नी व पुत्र हांडी का पानी लेकर छत पर पलटने के लिये चले गये कुछ देर बाद वापस आये तो देखा कि दोनो हांडी का कपड़ा खुला था और हांडी में रखे कीमती जेवरात व रुपये छल कपट करके शादाब उर्फ शानू चोरी करके भाग गया है। **इस सूचना पर थाना <u>सआदतगंज</u> पर मु0अ0सं0 151/2024 धारा 305/316(2)/318(4) बीएनएस का अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।**